Recruitment Policy.

डाक पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2008—माघ 8, शक 1929

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-49/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1), सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगमों के अधिकारियों तथा सेवकों के गठन (सेटअप), संख्या, भर्ती, नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 कहलायेंगे ।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) ;

4. भर्ती का तरीका :— (1) सेवा में सम्मिलित पदो को अनुसूची एक के कॉलम नंबर (3), (4) एवं (5) में अन्तर्विष्ट निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

परंतु विशेष परिस्थितियों में, नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव पर किसी निगम के मामले में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अनुसूची एक की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी।

(2) इन नियमों मे अंन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नगर पालिक निगम में मेयर (महापौर) के निज सचिव का एक पद होगा, जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, मेयर की सहमति से, संविदा पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा स्थानांतरण द्वारा, जैसा कि मेयर द्वारा उचित समझा जाये, नियुक्ति की जायेगी। संविदा पर नियुक्ति के मामले में, मेयर (महापौर) के निज सचिव की अर्हता, कंपनी सचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या प्रबंध विशेषज्ञ के समतुल्य होगी। नगर पालिक निगम संविदा की अन्य शर्तें सरकार की पूर्व अनुमोदन से अवधारित करेगी।

5. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें**:— सीधी भर्ती के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—

(1) आयु :— सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी की न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा तथा उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण वैसा ही होगा, जैसा की राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा के लिये नियत है।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएँ** :— सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ, अनुसूची—दो के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी। अन्य अर्हताएँ वैसी ही होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, सरकारी सेवा को लागू की जाए।

(3) आरक्षण :— (क) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पद आरक्षित रखे जाएगें।

(ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(ग) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम, नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों से उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, आवेदनों की संवीक्षा करेगा तथा रोजगार कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची को सम्मिलित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या मौखिक साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा किया जाए।

(4) अभ्यर्थियों का चयन, अनुसूची–तीन में यथा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) चयन समिति, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार या दोनों में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी तथा ऐसी सूची में रिक्त पदों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या दुगुनी होगी। यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची के अनुमोदन के पश्चात् उसका प्रकाशन किया जाएगा तथा ऐसी सूची, निगम में नियुक्ति के लिये उसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी कम में करेगा, जिस कम में उनके नाम चयन सूंची में आये हों।

(8) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये किसी प्रकार से उपयुक्त है।

(8–क) **सफाई कामगार (स्वीपर) के पद पर नियुक्ति हेतु वरीयता:–** ऐसे सफाई कर्मचारी जो अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, उनके परिवार के किसी एक सदस्य को, जो नियमानुसार सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त होने के लिये अन्यथा अपात्र नहीं है, को वरीयता के आधार पर सफाई कामगार के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

9. **परिवीक्षा:–** (1) किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से परिवीक्षा की कालावधि बढ़ा सकेगा, जो एक वर्ष की कुल कालावधि से अधिक नहीं होगी।

एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी–सब्जेक्ट–टू फिटनेस) के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र, सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार या निमित्त समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगा।

(5) समिति, ऐसे व्यक्तियों की, जो उपनियम (3) में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति, सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझती है, सूची तैयार करेगी। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(6) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पद पर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएँगे।

(7) समिति, चयन सूची को, समिति की बैठक की तारीख से एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(8) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों :

परंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में किसी नाम से सहमत नहीं है तो लिखित में पर्याप्त तथा स्पष्ट कारण देने के पश्चात् ऐसा नाम सूची से हटाया जा सकेगा।

11. **ज्येष्ठता** :– निगम के अधीन किसी पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता, पद पर उसकी लगातार सेवा की तारीख के संदर्भ में अवधारित की जाएगी परन्तु यदि किसी एक ही तारीख को दो या दो से अधिक कर्मचारी पद ग्रहण करते हैं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता का अवधारणा, सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा परिवीक्षाधीन कर्मचारी, जिसे परिवीक्षा कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् किसी कारण से नियमित नहीं किया जा सका हो, उसे ज्येष्ठता सूची में उन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों से नीचे रखा जाएगा, जिन्हें पहले नियमित किया जा चुका है।

12. **अधिवार्षिकी आयु** :–निगम के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु नीचे दिये गये अनुसार होगी:–

अनुसूची – एक

(नियम – 3 एवं 4 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में निगमित पद

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदो के नाम	वेतनमान	भर्ती का तरीका (प्रतिशत में)		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयुक्त	-	-	-	प्रतिनियुक्ति
2	अपर आयुक्त	-	-	-	प्रतिनियुक्ति
3	उपायुक्त	1000-15200	50%	50%	-
4	विधि अधिकारी	8000-13500	100%	-	-
5	निगम सचिव	8000-13500	50%	50%	-
6	निज सचिव	5000-8000	50%	50%	-
7	कार्यालय अधीक्षक	5500-9000	-	100%	-
8	जनसंपर्क अधिकारी	8000-13500	100%	-	-
9	सहायक कार्यालय अधीक्षक/सहायक वर्ग–1	4500-7000	-	100%	-
10	सहायक वर्ग–2/लेखापाल	4000-6000	50%	50%	-
11	सहायक वर्ग–3/केशियर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	50%	50%	-
12	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5000-10500	100%	-	-
13	शीघ्रलेखक वर्ग–2	5500-9000	-	100%	-
14	शीघ्रलेखक वर्ग–3	4500-7000	100%	-	-
15	लेखा अधिकारी	8000-13500	-	50%	50%
16	सहायक लेखा अधिकारी	5500-9000	50%	50%	
17	राजस्व अधिकारी	8000-13500	-	50%	50%
18	संपदा अधिकारी	8000-13500	-	50%	50%
19	सहायक राजस्व/संपत्ति कर अधिकारी	5000-8000	-	100%	
20	राजस्व निरीक्षक	4500-7000	50%	50%	
21	राजस्व उप निरीक्षक/	3500-5200	50%	50%	
22	सहायक राजस्व निरीक्षक	3050-4590	50%	50%	
23	मुख्य अभियंता	16400-20000	-	50%	50%
24	अधीक्षण अभियंता	12000-16500	-	50%	50%
25	नगर निवेशक	10000-15200	-	-	100%
26	कार्यपालन अभियंता(जल कार्य यांत्रिकी तथा विद्युत)	10000-15200	-	50%	50%

63	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	50%	50%	
64	वेक्सीनेटर	3050-4590	100%	-	
65	कंपाउंडर	3050-4590	100%	-	
66	पंप अटेन्डेंट	3050-4590	100%	-	
67	प्लम्बर	3050-4590	100%	-	
68	फीटर	3050-4590	100%	-	
69	लैब टेक्निशियन	3050-4590	100%	-	
70	मीटर रीडर	3050-4590	100%	-	
71	फील्टर अटेंडेंट	3050-4590	100%	-	
72	पंप ऑपरेटर	3050-4590	100%	-	
73	वाल्वमेन	2550-3200	100%	-	
74	दफतरी	2610-3540	-	100%	
75	भृत्य	2500-3200	100%	-	
76	चौकीदार	2500-3200	100%	-	
77	माली	2500-3200	100%	-	
78	सफाई कामगार	2500-3200	100%	-	
79	मजदूर	2500-3200	100%	-	
80	कुक	2500-3200	100%	-	
81	प्राचार्य	8000-13500	-	100%	
82	पुस्तकालयाध्यक्ष (लायब्रेरियन)	4000-6000	100%	-	
83	व्याख्याता	5500-9000	-	100%	
84	उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधानपाठक	5000-8000	50%	50%	
85	सहायक शिक्षक	4000-6000	100%	-	
86	व्यायाम शिक्षक	5000-8000	100%	-	
87	उद्योग शिक्षक	5000-8000	100%	-	
88	प्राथमिक शाला शिक्षक	4000-6000	100%	-	
89	संगीत शिक्षक	4000-6000	100%	-	
90	प्रयोगशाला सहायक	3050-4590	100%	-	

16	पटवारी	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से पटवारी का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
17	समयपाल / कार्य सहायक	हायर सेकेण्डेरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेसर में डिप्लोमा उत्तीर्ण।
18	ट्रेसर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेसर का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
19	मेसन	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मेसन का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
20	कारपेन्टर	आठवी कक्षा उत्तीर्ण।
21	उद्यान अधिकारी / अधीक्षक	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से उद्यानिकी में डिग्री। इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
22	उद्यान निरीक्षक	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से उद्यानिकी में डिग्री।
23	सहायक फायर ऑफीसर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अग्निशमन कॉलेज से डिग्री उत्तीर्ण।
24	फायरमेन ग्रेड–2	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं अग्निशमन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
25	इलेक्ट्रिशियन / वायरमेन	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
26	वर्कशॉफ सुपरिटंडंट	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था की मैकेनिकल इंजिनियर की पत्रोपाधि (डिप्लोमा)
27	मोटर मैकेनिक ग्रेड–2	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
28	वेल्डर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर वेल्डर का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
29	ड्रायवर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी लाईट एवं हेवी मोटर वीकल ड्राईविंग लाईसेंस उत्तीर्ण।
30	क्लीनर	आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।
31	सहायक स्वा.अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.डिग्री।
32	(आयुर्वेदिक) चिकित्सा अधिकारी वैद्य	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. डिग्री।
33	हकीम	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्यति में डिग्री।
34	होम्योपैथिक स्वा. अधिकारी	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथ चिकित्सा की उपाधि (डिग्री)।
35	स्वच्छता निरीक्षक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. बायोलॉजी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक का डिप्लोमा।
36	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा वाणिज्य में डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
37	स्वच्छता सर्वेयर / सफाई दरोगा	विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।

अनुसूची – तीन
(नियम – 10 (1) देखिये)

कमांक	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी।	कॉलम (2) दर्शाये गये पद पर पदोन्नति के लिये कॉलम (3) में दर्शाये गये पद पर अपेक्षित सेवा के न्यूनतम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उपायुक्त	निगम सचिव / राजस्व अधिकारी	07 वर्ष का अनुभव
2	निगम सचिव	कार्यालय अधीक्षक / सहायक सांख्यिकी अधिकारी	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री उत्तीर्ण।
3	निज सहायक	सहायक कार्यालय अधीक्षक / सहायक ग्रेड–1	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री उत्तीर्ण।
4	कार्यालय अधीक्षक	सहायक कार्यालय अधीक्षक / सहायक ग्रेड–1	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।
5	सहायक कार्यालय अधीक्षक / सहायक ग्रेड–1	सहायक ग्रेड–2 / लेखापाल	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री उत्तीर्ण।
6	सहायक ग्रेड–2 / लेखापाल	सहायक ग्रेड–3 / केशियर / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री उत्तीर्ण।
7	सहायक ग्रेड–3 / केशियर / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	दफ्तरी / भृत्य	7 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री उत्तीर्ण।
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	07 वर्ष का अनुभव।
9	लेखा अधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एकाउंट की जानकारी (टेली), एकाउंट प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
10	सहायक लेखा अधिकारी	सहायक ग्रेड–2 / लेखापाल	7 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एकाउंट की जानकारी (टेली), एकाउंट प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
11	राजस्व अधिकारी	सहायक राजस्व अधिकारी / संपदा अधिकारी	07 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
12	संपदा अधिकारी	सहायक राजस्व अधिकारी / संपत्ति कर अधिकारी	7 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

29	वर्कशॉप अधीक्षण	मोटर मैकेनिक ग्रेड–01	07 वर्ष का अनुभव।
30	मोटर मैकेनिक ग्रेड–01	मोटर मैकेनिक ग्रेड–02	07 वर्ष का अनुभव।
31	ड्रायवर	क्लीनर	07 वर्ष का अनुभव।
32	स्वास्थ्य अधिकारी	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.)	12 वर्ष का अनुभव।
33	स्वास्थ्य अधिकारी नॉन एम.बी.बी.एस.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	12 वर्ष का अनुभव।
34	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	स्वच्छता निरीक्षक	12 वर्ष का अनुभव।
35	स्वच्छता निरीक्षक	स्वच्छता परिवेक्षक / सफाई दरोगा	14 वर्ष का अनुभव।
36	स्वच्छता परिवेक्षक / सफाई दरोगा	दफ्तरी / भृत्य / सफाई कामगार	15 वर्ष का अनुभव।
37	दफ्तरी	भृत्य	10 वर्ष का अनुभव।
38	प्राचार्य	व्याख्याता	10 वर्ष का अनुभव।
39	व्याख्याता	उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधानपाठक	10 वर्ष का अनुभव।
40	उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधानपाठक	सहायक शिक्षक	10 वर्ष का अनुभव।

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2008

क्रमांक एफ-4-49/2006/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-49/2006/18, दिनांक 24 जनवरी, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

Raipur, the 24th January 2008

NOTIFICATION

No. F-4-49/2006/18.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sub-section (1) of Section 58 read of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby make the following rules regulating the set up, strength, recruitment, appointment, scales of pay, allowances and other conditions of service of the officers and servants of the Municipal Corporation of Chhattisgarh, namely :—

RULES

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rule, 2007.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions- In these rules unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956)

(b) "Appointing Authority" means the Mayor-in-Council or the Commissioner as the case may be, specified by the State Government by an order under proviso (i) of sub-section (1) of Section 58 of the Act;

(c) "Corporation" means any Corporation constituted under section 7 of the Act;

(d) "Mayor-in-Council" means the Mayor-in-Council constituted under Section 37 of the Act and includes the Administrator of the city appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 423 of the Act;

(e) **"Section"** means a section of the said act [Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956;]

(f) Schedule means schedule appended to these rules;

(g) "Committee" means a committee constituted by the Mayor-in-Council for selection of the candidates;

(h) "Commission" means Chhattisgarh Public Service Commission;

(i) "Government" means the Government of Chhattisgarh

(j) " Governor" means the Governor of Chhattisgarh.

(k) "Schedule cast" means the scheduled caste as specified in relation to this state under article 341 of the Constitution of India.

(l) "Scheduled tribe" means the scheduled tribe as specified in selection to this state under article 342 of the Constitution of India.

Schedule II. Other qualification shall be such as may be made applicable to the Government service by the State Government from time to time.

(3) **Reservation.-** **(a)** There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh. Public Service Commission (Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other backward classes) Act, 1994 (No.21 of 1994).

(b) 30% posts shall be reserved for woman candidates, in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(c) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank with other candidates.

(d) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(e) Post shall be reserved for handicapped candidates as per direction of the General Administration Department.

(f) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Commissioner that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Commissioner or Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

6. **Disqualification.-** There shall be following disqualifications of his appointment :-

a) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for candidature by any means

b) Dismissed from services of the State Government or any local body disqualifying from future appointment.

(3) A probationer shall undergo such training and pass such department examinations during the period of his probation as may be determined by the State Government by a general or special order from time to time.

(4) If at any time during the period of probation or at the end of probation it is found that the probationer has not fully availed the opportunity afforded to him or has or has failed to gain the standard expected of him or has otherwise found unsuitable for the post held by him his may be dismissed without holding any departmental enquiry.

(5) A person who has been removed from service during the period of probation or at the end of probation shall not be entitled for any compensation from the Corporation or the State Government.

10. **Promotion.-** (1) Subject to the provisions of Rule 4, the Committee specified in Schedule IV shall select candidates for departmental promotion on the posts as shown in column (2) of Schedule III.

(2) When a post is to be filled by promotion fail vacant and in the opinion of the appointing authority the filling up the vacant post is necessary in the interest of the Corporation, then the Commissioner, shall prepare the seniority list of Officers/Employees shown in column (3) of Schedule III, their character rolls, the details of award/punishment given to such Officers/Employees and submit before the Committee specified in Schedule IV.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st January of that year has completed such number of years of service (whether officiating or substantive) as specified in column (4) of Schedule III on the posts specified in column (3) of Schedule III from which promotion is to be made and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (4);

Provided that no junior person shall be given preference over his senior merely on the ground of having completed and prescribed number of years service.

(4) (a) The selection of candidates eligible for promotion shall be made on the basis of merit-cum-seniority in respect of class I officers and seniority subject to fitness in respect of Class II, III and IV Officers/Employees.

(b) The reservation for the posts of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and zone of consideration shall in accordance with the provisions of rules made or instruction issued in this behalf by the State Government from time to time for the Government Servants.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the following rules as amended form time to time applicable to the government servants shall be applicable to the employees of the Corporation, namely:-

(a) Chhattisgarh Funsamental Rules Volumes I and II.

(b) Chhattisgarh Travelling Allowance Rules.

(c) Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 1977.

(d) Chhattisgarh Civile Services (Conduct) Rules, 1965.

(e) Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

14. Transfer- Subject to the provisions of Section 58 of the said Act, the State Government may transfer any officer or employee of the Corporation from one Corporation to another provided that such officer or employee who is in any Corporation for more than 5 year (to be revised) shall necessarily be transferred by the State Government.

15. Interpretation- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

16. Relaxation- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the appointing authority to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable. Provided that before such action is taken the previous sanction of the State Government is necessary.

17. Repeal and Saving- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. K. KHAITAN, Secretary.

26	Executive Engineer (Water works Mechanical & Electrical)	10000-15200	--	50%	50%
27	Executive Engineer (Civil)	10000-15200	--	50%	50%
28	Assistant Engineer (Civil Mech. & Elec.)	8000-13500	--	50%	50%
29	Sub Engineer (Civil Mech. & Elec.)	5000-8000	100%	--	100%
30	Draftsman	5000-8000	50%	50%	--
31	Asstt. Draftsman	4000-6000	50%	50%	--
32	Surveyor	4500-7000	100%	--	--
33	Patwari	3500-5200	100%	--	--
34	Time keeper/work Assistant	3050-4590	100%	--	--
35	Tracer	3050-4590	100%	--	--
36	Mason	2550-3200	100%	--	--
37	Carpenter	2550-3200	100%	--	--
38	Horticulture Officer/ Horticulture Supdt.	8000-13500	50%	50%	--
39	Horticulture Inspector	5000-8000	100%	--	--
40	Fire fighting Supdt.	5500-9000	50%	50%	--
41	Fire Officer Gr. I	8000-13500	--	50%	50%
42	Fire Officer Gr. 2	5000-8000	--	50%	50%
43	Asstt. Fire Officer	4500-6000	100%	--	--
44	Leading Fireman	4000-6000	--	100%	--
45	Fireman Gr. 1	3500-5200	--	100%	--
46	Fireman Gr.2	3050-4590	100%	--	--
47	Electrician /Wireman	5000-8000	100%	--	--
48	Workshop Sudpt.	5000-8000	50%	50%	--
49	Motor Mechanic Gr.1	4000-6000	--	100%	--
50	Motor Mechanic Gr.2	3050-4590	100%	--	--
51	Welder	2550-3200	100%	--	--
52	Cleaner	2550-3200	100%	--	--
53	Driver	3050-4590	50%	50%	--
54	Health Officer MBBS	10000-15200	--	50%	50%
55	Health Officer Non – MBBS	8000-13500	--	100%	--
56	Asstt. Health Officer	8000-13500	100%	--	--
57	Medical Officer Ayurvedic	8000-13500	100%	--	--
58	Hakim	8000-13500	100%	--	--
59	Medical Officer	8000-13500	100%	--	--

SCHEDULE-II
[See Rules 5 (2)]
Qualification for Direct Recruitment

SN	Name of the Post	Education Qualifications
(1)	(2)	(3)
1.	Dy. Commissioner	M.B.A. and equivalent Degree in Urban Development.
2.	Legal Officer	Degree in Law from any recognized University. Preference will be given to persons having Post Graduate degree in Law and experience of working as Law Officer.
3.	Public Relation Officer	Degree form any recognized University and Degree or diploma in Journalism. Preference will be given to persons having experience in the same category.
4.	Assistant Gr.2	Degree from any recognized University and Diploma in Computer Application.
5.	Assistant Gr.3 /Cashier/Data Entry Operator	Should pass Higher Secondary, Short hand and typewriting examination in Hindi and English and Diploma in Computer Application as well.
6.	Computer Programmer	Should posses M.Sc. or Post Graduate Diploma in Computer Science from recognized institute.
7.	Stenographer Gr.3	Should pass Higher Secondary and Short hand typewriting examination from any recognized Technical Education.
8.	Revenue Inspector	Should possess Post Graduate Degree form recognized University. Preference will be given to candidates have completed L.S.G.D. course and possess Diploma in Computer Application.
9.	Revenue Sub-Inspector	Should posses Degree from any recognized University and Diploma in Computer Application.
10.	Asstt. Revenue Inspector	Degree from any recognized University and Diploma in Computer Application.
11.	Assistant Engineer	B.E. in Civil/Mechanical/Electrical Engineering from recognized University and Diploma in AutoCAD, CAM.
12.	Sub-Engineer (Civil/Mechanical/ Electrical)	Diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering from recognized University and Diploma in AutoCAD, CAM.
13.	Draftman	Diploma in Civil Draftsmanship from institution recognized by Chhattisgarh Government and Diploma in Auto CAD, CAM.
14.	Asstt.Draftsman	Should pass Higher Secondary and possess Diploma from Industrial Training Institute and Diploma in AutoCAD, CAM.
15.	Surveyor	Pass Higher Secondary from recognized institution and possess Diploma in Surveyor from I.T.I.
16.	Patwari	Pass Higher Secondary and possess certificate in Patwari from recognized institution.

40.	Pump Attendant	Pass Higher Secondary.
41.	Plumber	Pass Higher Secondary and possess certificate in plumber training from I.T.I.
42.	Fitter	Pass Higher Secondary and possess certificate in Fitter training for I.T.I.
43.	Lab-Technician	Pass Higher Secondary with science subjects and possess certificate in Lab-Technician training form recognized institution.
44.	Meter-Reader	Pass Higher Secondary.
45.	Filter Attendant	Pass Higher Secondary
46.	Pump Operator/Driver	Pass Higher Secondary and possess certificate in Electrician trade from I.T.I.
47.	Valveman	Pass Higher Secondary
48.	Peon	Pass 8th.
49.	Chaukidar/Watchman	Pass 8th.
50.	Maali/Gardner	Pass Higher Secondary and possess certificate in Gardening.
51.	Safai Kamgar	At least Pass 5th .
52.	Mazdoor	Should be Literate
53.	Cook	Pass 8th and have 3 years experience in cocking.
54.	Librarian	Degree in Library Science form recognized University.
55.	Upper Division Teacher/ Head Master	Any Degree with B.Ed. qualification from any recognized University and Diploma in Computer Application.
56.	Assistant Teacher	Higher Secondary with B.T.I. training and possess Diploma in Computer Application.
57.	Physical (Exercise) Teacher	Degree with Physical Training from recognized University
58.	Industrial Teacher	Degree with certificate in Crafts and Diploma in Computer Application.
59.	Primary School Teacher	Pass Higher Secondary with B.T.I.
60.	Music Teacher	Higher Secondary with Diploma in Music
61.	Lab-Assistant	Pass Higher Secondary with Science Subjects.

13.	Assistant Revenue Officer/ P. Tax Officer	Revenue Inspector	7 Years of experience and Diploma in Computer Application.
14.	Revenue Inspector	Revenue Sub-Inspector	7 Years of experience and Diploma in Computer Application.
15.	Revenue Sub-Inspector	Assistant Revenue Inspector (Moharrir)	7 Years of experience and Diploma in Computer Application.
16.	Assistant Revenue Inspector (Moharrir)	Daftari/Peon	7 Years of experience and should pass Higher Secondary.
17.	Chief Engineer	Superintending Engineer	5 Years of experience.
18.	Superintending Engineer	Executive Engineer (water works/ Mechanical/Electrical)	5 Years of experience.
19.	Executive Engineer (water works/ Mechanical/Electrical)	Assistant Engineer (water works/ Mechanical/Electrical)	5 Years of experience.
20.	Executive Engineer (civil)	Assistant Engineer (Civil)	5 Years of experience.
21.	Assistant Engineer (Civil/Mech./Elec.)	Sub-Engineer/Draftsman	12 years of experience for Diploma in Civil/ Mechanical/Electrical and 8 years of experience for Degree holders.
22.	Draftsman	Assistant Draftsman	12 years of experience for Draftsman (Civil) from ITI and 8 years experience for Diploma in Civil Engg. from Polytechnic college.
23.	Assistant Draftsman	Tracer	12 years of experience for Draftsman (Civil) from ITI and 8 years experience for Diploma in Civil Engg. from Polytechnic college.
24.	Horticulture Officer/ Horticulture Supdt.	Horticulture Inspector	7 years of experience.
25.	Fire Officer Gr.I	Fire Officer Gr.II	7 years of experience.
26.	Fire Officer Gr.II	Asstt. Fire Officer	7 years of experience.
27.	Leading Fireman	Fireman Gr.I	7 years of experience.
28.	Fireman Gr.I	Fireman Gr.II	7 years of experience.
29.	Workshop Superintendent	Motor Mechanic Gr.I	7 years of experience.

SCHEDULE-III
[See Rules 8 (4) and 10 (1)]

Committee for Direct Recruitment and Promotions

(I) For Posts under the jurisdiction of Mayor-in-Council

(1)	Commissioner	Chairman
(2)	Concerned Head of Department	Member
(3)	An Officer not below the rank of Deputy Director nominated by the Director, Urban Administration and Development	Member
(4)	An Officer nominated by the Commissioner	Member Secretary/ Convener

(II) For posts under the jurisdiction of Commissioner

(1)	Additional Commissioner or Deputy Commissioner	Chairman
(2)	Head of the Department of the concerned department where the post is to be filled	Member
(3)	Any other Head of Department who is nominated by the Commissioner	Member
(4)	Any Officer nominated by the Commissioner	Member Secretary/ Convener

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.